—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 147/2019

उनवान

बलवीर सिंह पुत्र मिलापचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 1.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8210 रकबा 0.78 व 8210/10062 रकबा 1.78 की आराजी के मूल खातेदार बलवीर सिंह पुत्र मिलापचन्द है। वादी बलवीर सिंह को ग्राम में बोलचाल की भाषा में राजू के नाम से भी जानते है। जबकि राजू का वास्तविक नाम बलवीर सिंह पुत्र मिलापचन्द है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम गलफत में राजू दर्ज हो गया है जबकि संरपंच प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एल.आई.सी. बान्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम बलवीर सिंह पुत्र मिलापचन्द ही है। अतः आराजी मुतनाजा में वादी का नाम राजू के स्थान पर बलवीर सिंह पुत्र मिलापचन्द दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आरजी मुतनाजा में वादी का नाम राजू पुत्र मिलापचन्द है। वादी संरपंच प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एल.आई.सी. बान्ड, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में राजू सिंह के स्थान पर बलवीर सिंह करवाना चाहता है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ? — वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के [illegible] में राजस्व अभिलेख, संरपंच प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एल.आई.सी. बान्ड, मतदाता पहचान पत्र, [illegible] की प्रति पेश की व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार [illegible] पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा वादी व अन्य व्यक्तियो की सह खातेदारी की है। वादग्रस्त सम्पदा में वादी का नाम राजू पुत्र मिलापचन्द अंकित है। वाद के समर्थन में वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज संरपंच प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एल.आई.सी. बान्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम बलवीर सिंह पुत्र मिलापचन्द अंकित है। वादी का कथन है कि ग्राम में बोलचाल की भाषा में उसे राजू नाम से जाना जाता है इसलिये राजस्व अभिलेख में उसका नाम राजू ही अंकित हो गया है। किन्तु वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का राजस्व अभिलेख पेश नही किया है। उकत आराजी साबिक राजस्व अभिलेख में किस के नाम दर्ज थी, वादी का नाम कोन से नामान्तकरण से राजू अंकित किया गया यह वाद ने स्पष्ट नही किया है। आराजी मुतनाजा पर वादी को अधिकार पैतृक विरासत से प्राप्त हुये अथवा उक्त आराजी उसकी कयशदा है या आवंटित है इस बावत वादी ने अपने वाद के कथनों से व साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट नही किया है। वादी को आराजी मुतनाजा पर अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु साबिक राजस्व अभिलेख व राजू सिंह के नाम का नामान्तरण पेश करना चाहिये था। उक्त अभिलेखिय दस्तावेज के अभाव मे आराजी मुताजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8210 रकबा 0.78 व 8210/10062 रकबा 1.78 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इवाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बलवीर बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88,188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 47 / 2019
पेश करने की दिनांक – 18.12.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस.) व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8210 रकबा 0.78 व 8210 / 10082 रकबा 1.78 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक (माह जून 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested